आर.बी.ई सं. 19/2009

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 99-ई (एस सी टी)-I/25/8 नई दिल्ली,दिनांक:29.01.2009

महाप्रबंधक (कार्मिक),
कोर इलाहाबाद, मेट्रो रेल/कोलकाता सहित सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण)/मालीगांव।
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
मु.प्र.अ., डीपुका, पटियाला।
मु.प्र.अ., एमटीपी (रेलें), मुंबई एवं चेन्नै।
अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नै, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एवं श्रीनगर, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, त्रिवेन्द्रम।
महानिदेशक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
निदेशक, इरिसेट/सिकंदराबाद, इरिमी/जमालपुर, इरि/नासिक, इरिसेन/पुणे, आईआर कैमटेक, ग्वालियर।
रेल संपर्क अधिकारी, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली।
महासचिव, आईआरसीए, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ., कॉफमो, रेलवे ऑफिस कॉम्प्लैक्स, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110 002.
सचिव, रेल दर अधिकरण (चेन्नै), 50 मैक निकोला रोड, चेटपेट, चेन्नै।
कार्यपालक निदेशक, क्रिस, सफदरजंग रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
निदेशक (संचलन) रेलें, 17, एनएस रोड, कोलकाता।
संयुक्त निदेशक (लौह एवं स्टील), 3, कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता।
महासचिव, एनएफआईआर, 3, चैम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
राष्ट्रीय परिषद एवं विभागीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
अखिल भारतीय अ.ज./अ.जा.जा. रेल कर्मचारी संघ, कमरा नं. 8, रेल भवन।
महासचिव, अखिल भारतीय अ.पि.व. रेलवे कर्मचारी फेडरेशन, 171/ए-3, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली-110 055.
भारतीय रेल प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001.
रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, कमरा नं. 7-बी, रेल भवन, नई दिल्ली।
रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 521, रेल भवन, नई दिल्ली।
रेलवे बोर्ड क्लास-I ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-बी, रेल भवन, नई दिल्ली।

रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन, कमरा नं. 7-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, कॉनकोर, केआरसीएल, आईआरएफसी।

कमांडिंग ऑफिसर्स:

नं.1 बटालियन/रेसुविब/लमडिंग (असम)
नं.2 बटालियन/रेसुविब/गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
नं.3 बटालियन/रेसुविब/तालकटोरा, आलमबाग, लखनऊ
नं.4 बटालियन/रेसुविब/पीपी, भक्तिनगर, न्यू जलपाईगुड़ी, प.बं.
नं.5 बटालियन/रेसुविब/तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु)
नं.6 बटालियन/रेसुविब/दयाबस्ती, दिल्ली-110 036
नं.7 बटालियन/रेसुविब/मौला अली, सिकंदराबाद
नं.8 बटालियन/रेसुविब/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, चित्तरंजन।

विषय: पदोन्नति में आरक्षण - उनकी स्वयं की मैरिट पर पदोन्नत अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के संबंध में कार्रवाई।

संदर्भ: बोर्ड के 07.08.2002, 20.06.2003 और 06.05.2005 के पत्र सं. 99-ई(एससीटी)I/25/13.

****

कृपया बोर्ड के संदर्भित 06.05.2005 के पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ग़ैर-प्रवरण पद्धति द्वारा पदोन्नतियों के मामले में, जहां पदोन्नतियां वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं और इन पदोन्नतियों में मैरिट की धारणा शामिल नहीं होती, वहां ऐसी पदोन्नतियों में बोर्ड के 07.08.2002 और 20.06.2003 के समसंख्यक पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश लागू नहीं होंगे। इस संबंध में, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्पष्टीकरण मांगा गया है कि बीच की अवधि अर्थात् 07.08.2002 से 06.05.2005 के दौरान ग़ैर-प्रवरण पद्धति द्वारा की गई अ.जा./अ.ज.जा. की पदोन्नतियों को कैसे नियमित किया जाए।

2. मामला नोडल मंत्रालय अर्थात् कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से परामर्श करते हुए विचाराधीन था और अब यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के 06.05.2005 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश 07.08.2002 से प्रभावी होंगे। बहरहाल, पदोन्नतियां जिन्हें बोर्ड के 06.05.2005 के पत्र के जारी होने से पूर्व मौजूद अनुदेशों के अनुसार पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है, में छेड़छाड़ किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार जिन्हें उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा से अधिक फीडर ग्रेड में उनकी वरिष्ठता स्थिति के अनुसार अथवा अन्यथा ग़ैर-प्रवरण पद्धति द्वारा 07.08.2002 से 06.05.2005 की अवधि के दौरान पदोन्नति दी जा चुकी है, को भविष्य में उत्पन्न होने वाली आरक्षित रिक्तियों के संबंध में समायोजित किया जाएगा।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ग़ैर-प्रवरण पद्धति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में, सामान्य विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले वरिष्ठ अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को इस आधार पर पदोन्नति देने से इंकार नहीं किया जा सकता कि कोई आरक्षित रिक्ति नहीं है या उस विशिष्ट आरक्षित कोटि का अधिक प्रतिनिधित्व है। अतः अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए निर्धारित आरक्षण से अधिक में ग़ैर-प्रवरण पद्धति द्वारा पदोन्नत किया जा सकता है बशर्ते वे अपनी वरिष्ठता स्थिति के अनुसार सामान्य विचाराधीन क्षेत्र के भीतर आते हों। बहरहाल, ऐसे अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को भविष्य में उत्पन्न होने वाली आरक्षित रिक्तियों के संबंध में समायोजित किया जा सकता है।

कृपया पावती दें।

संलग्नकः कुछ नहीं

एस. सरकार
(एस. सरकार)
संयुक्त निदेशक, स्था (आ.)